



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09072022-237214  
CG-DL-E-09072022-237214

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 353]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 8, 2022/आषाढ 17, 1944

No. 353]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 8, 2022/ASHADHA 17, 1944

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2022

फा. सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 43 की उप- धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एतद द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 6 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. सं. 3648 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्,-

तालिका में,-

1. उत्तरी क्षेत्र से संबंधित 'क' में,

(1) दिल्ली के नीचे, कॉलम (1) में, क्रम संख्या 6 और कॉलमों (2) और (3) में उससे संबंधित प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ।

(2) जम्मू एंड कश्मीर के नीचे, कॉलम (1) में, क्रम संख्या 1 और कॉलमों (2) और (3) में उससे संबंधित प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ।

2. पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित 'ख' में,

(1) मध्य प्रदेश के नीचे, कॉलम (1) में, क्रम संख्या 8 और कॉलमों (2) और (3) में उससे संबंधित प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ।

(2) महाराष्ट्र के नीचे,

(क) कॉलम (1) में, क्रम संख्या 12 और कॉलमों (2) और (3) में उससे संबंधित प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ।

(ख) क्रम संख्या 32 के बाद, संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ को अंत स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

| क्रम सं. | प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता                                                                                                                                         | प्रत्यायन का क्षेत्र |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| (1)      | (2)                                                                                                                                                                               | (3)                  |
| “33      | खाद्य और औषधि प्रशासन प्रयोगशाला (एम.एस.), नागपुर<br>पंजीकरण सं. 64/डब्ल्यू/ एफएसएसएआई/2022<br>प्लॉट सं. ई1 से ई3, पहली मंजिल, श्री भुगओंकर बिल्डिंग, नागपुर, महाराष्ट्र - 440027 | रासायनिक” ;          |

3. दक्षिण क्षेत्र से संबंधित ‘ग’ में,

(1) तमिल नाडू के नीचे, कॉलम (1) में, क्रम संख्या 4 और कॉलमों (2) और (3) में उससे संबंधित प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ।

(2) तेलंगाना के नीचे, कॉलम (1) में, क्रम संख्या 10 और कॉलमों (2) और (3) में उससे संबंधित प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ।

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन III.4/असा./173/2022-23]

**टिप्पण :** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. संख्या 3648 (अ), दिनांक 6 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित हुई थी और बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधन की गई:-

1. का.आ. संख्या 567 (अ), दिनांक 20 फरवरी, 2017;
2. का.आ. संख्या 1595 (अ), दिनांक 15 मई, 2017;
3. का.आ. संख्या 1965 (अ), दिनांक 20 जून, 2017;
4. का.आ. संख्या 2316 (अ), दिनांक 24 जुलाई, 2017;
5. का.आ. संख्या 3068 (अ), दिनांक 14 सितंबर, 2017;
6. का.आ. संख्या 3279 (अ), दिनांक 29 सितंबर, 2017;
7. का.आ. संख्या 4083 (अ), दिनांक 22 दिसंबर, 2017;
8. का.आ. संख्या 848 (अ), दिनांक 19 फरवरी, 2018;
9. का.आ. संख्या 1516 (अ), दिनांक 28 मार्च, 2018;
10. का.आ. संख्या 2426 (अ), दिनांक 13 जून, 2018;
11. का.आ. संख्या 6207 (अ), दिनांक 12 दिसम्बर, 2018;
12. का.आ. संख्या 1377 (अ), दिनांक 08 मार्च, 2019;
13. का.आ. संख्या 1722 (अ), दिनांक 08 मई, 2019;
14. का.आ. संख्या 2842 (अ), दिनांक 06 अगस्त, 2019;
15. का.आ. संख्या 3428 (अ), दिनांक 18 सितम्बर, 2019;

16. फा. सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 13 फरवरी, 2020;
17. फा. सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 23 जुलाई, 2020;
18. फा. सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 04 दिसम्बर, 2020;
19. फा. सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 12 जनवरी, 2021;
20. फा. सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 10 फरवरी, 2021;
21. फा. सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 10 मार्च, 2021;
22. फा. सं. 12012/01/2019-क्यूए(भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 02 जून, 2021;
23. फा. सं. 12012/01/2019-क्यूए(भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 25 जून, 2021;
24. फा. सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई(भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 02 सितंबर, 2021;
25. फा. सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई(भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 08 अक्टूबर, 2021;
26. फा. सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई(भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 27 अक्टूबर, 2021;
27. फा. सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई(भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 31 जनवरी, 2022;
28. फा. सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई(भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 24 मार्च, 2022 ;
29. फा. सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई(भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 29 अप्रैल, 2022 और ,
30. फा. सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई(भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 31 मई, 2022।

## FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2022

**F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI** – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendments in the notification number S.O. number 3648 (E) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6<sup>th</sup> December, 2016, namely: -

In the table,

1. In 'A' related to NORTHERN REGION,

- (1) under **Delhi**, at serial number 6, in column (1) & respective entries in columns (2) & (3) of the row shall be deleted.
- (2) under **Jammu and Kashmir**, at serial number 1, in column (1) & respective entries in columns (2) & (3) of the row shall be deleted

2. In 'B' related to WESTERN REGION,

- (1) under **Madhya Pradesh**, at serial number 8, in column (1) & respective entries in columns (2) & (3) of the row shall be deleted.
- (2) under **Maharashtra**,
  - (a) at serial number 12, in column (1) & respective entries in columns (2) & (3) of the row shall be deleted.
  - (b) after serial number 32, the following entries shall be inserted in respective columns, namely. -

| Sr. No. | Name, Regn. Number and Address of the Laboratory                                                                                                                                   | Scope of accreditation |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| (1)     | (2)                                                                                                                                                                                | (3)                    |
| "33.    | Food and Drugs Administrations Laboratory (M.S.), Nagpur<br>Reg. No. 64/W/FSSAI/2022<br>Plot No. E1 to E3, First Floor, Shri. Bhugaonkar Building, Nagpur,<br>Maharashtra - 440027 | Chemical".             |

3. In 'C' related to SOUTHERN REGION,

- (1) under **Tamil Nadu**, at serial number 4, in column (1) & respective entries in columns (2) & (3) of the row shall be deleted.
- (2) under **Telangana**, at serial number 10, in column (1) & respective entries in columns (2) & (3) of the row shall be deleted.

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./173/2022-23]

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), vide S.O. number 3648 (E), dated the 6th December, 2016 and subsequently amended vide:-

1. S.O. number 567 (E), dated the 20<sup>th</sup> February, 2017;
2. S.O. number 1595(E), dated the 15<sup>th</sup> May, 2017;
3. S.O. number 1965 (E), dated the 20<sup>th</sup> June, 2017;
4. S.O. number 2316(E), dated the 24<sup>th</sup> July, 2017;
5. S.O. number 3068 (E) dated the 14<sup>th</sup> September, 2017;
6. S.O. number 3279 (E) dated the 29<sup>th</sup> September, 2017;
7. S.O. number 4083 (E) dated the 22<sup>nd</sup> December, 2017;
8. S.O. number 848(E) dated the 19<sup>th</sup> Feb, 2018;
9. S.O. number 1516 (E) dated 28<sup>th</sup> March, 2018;
10. S.O. number 2426(E) dated 13<sup>th</sup> June, 2018;
11. S.O. number 6207 (E) dated 12<sup>th</sup> December, 2018;

12. S.O. number 1377(E) dated 08<sup>th</sup> March, 2019;
13. S.O. number 1722 (E) dated 08<sup>th</sup> May, 2019;
14. S.O. number 2842 (E) dated 06<sup>th</sup> August, 2019;
15. S.O. number 3428 (E) dated 18<sup>th</sup> September, 2019;
16. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 13<sup>th</sup> February, 2020;
17. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 23<sup>rd</sup> July, 2020;
18. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 4<sup>th</sup> December, 2020;
19. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 12<sup>th</sup> January, 2021;
20. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 10<sup>th</sup> February, 2021;
21. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 10<sup>th</sup> March, 2021;
22. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 02<sup>nd</sup> June, 2021;
23. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 25<sup>th</sup> June, 2021;
24. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated 02<sup>nd</sup> September, 2021;
25. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated 08<sup>th</sup> October, 2021;
26. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated 27<sup>th</sup> October, 2021;
27. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated 31<sup>st</sup> January, 2022;
28. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated 24<sup>th</sup> March, 2022;
29. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated 29<sup>th</sup> April, 2022 and
30. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4, dated 31<sup>st</sup> May, 2022.